बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(बिहार सचिवालय ग्रंथागार, पटना)

ज्ञाप संख्या–वि०स०ग्र०–13/2009......352...../पटना–15, दिनांक 22 अगस्त, 2012

निविदा सूचना

मंत्रिमंडल सचिवालय विभागाधीन बिहार सचिवालय ग्रंथागार, पटना (बैरक संख्या–16) मुख्य सचिवालय, पटना–15 बिहार में लगभग 20,000 (बीस हजार मात्र) पुस्तकों का कम्प्यूटरीकृत वर्गीकरण–सह–सूचीकरण का कार्य ठेका पर बाह्य स्रोत से प्रति पुस्तक पीस दर पर कराने हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत प्रतिष्ठानों/फर्मों से साधारण डाक द्वारा निविदा प्रकाशन के तिथि से 21 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव (स्था०), मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, मुख्य सचिवालय, पटना–15 (बिहार) के पते पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। अन्य शर्ते निम्नलिखित है :–

1. वर्गीकरण–सह–सूचीकरण का कार्य फर्मों/प्रतिष्ठानों द्वारा पूर्णतया अस्थायी एवं ठेका पर प्रति पुस्तक पीस द पर किया जाएगा। संबंधित फर्म/प्रतिष्ठानों को पुस्तकों के कम्प्यूटरीकृत वर्गीकरण–सह–सूचीकरण का कार्य कराने का विस्तृत अनुभव होना चाहिए। इसके प्रमाण स्वरूप कम से कम तीन पुस्तकालय में इस प्रकार के कार्य सम्पादन का प्रमाण–पत्र संलग्न होना चाहिए।
2. संबंधित फर्मों/प्रतिष्ठानों को यह विवरण देना अनिवार्य होगा कि फर्म के द्वारा किन व्यक्तियों (दो) को कार्य करने के लिए दिये जायेंगे। Depute किये जाने वाले Man Power की शैक्षणिक योग्यता (पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक के साथ साथ पुस्तकों का कम्प्यूटरीकृत वर्गीकरण–सह–सूचीकरण कार्य करने का अनुभव) के साथ साथ पूर्ण विवरणी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. अनुबंध पर कार्य करने वाले फर्मों/प्रतिष्ठानों का भुगतान मासिक कार्य के आधार पर किया जायेगा।
4. फर्म/प्रतिष्ठानों द्वारा आवेदन पर वैट नं० (VAT No.) अंकित होना चाहिए।
5. निविदा को रद्द/संशोधित करने का सर्वाधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा।
6. कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर फर्म/प्रतिष्ठान को अगले कार्य दिवस से कार्य से हटा दिया जायेगा।

विषेश जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है। निविदा सूचना का विवरण विभागीय वेवसाईट www.csd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

14/8/12

342 22/8/12
प्रतिलिपि :- आई०टी०मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3)

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव
14/8/12